परिपत्र संख्या-स0द0-2020-21/ 362 /कम्प्यूटर0परि0सं0- 202019 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 22 सितम्बर, 2020

समस्त,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0),

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- प्रान्त बाहर से अवैध खनन उत्पादों को प्रान्त अन्दर परिवहन करने वाले वाहनों की जांच के सम्बन्ध में।

शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश की सीमाओं पर अवैध खनन के वाहन एवं अन्य वाहनों की फर्जी रसीद बनाकर प्रदेश की सीमा में अवैध तरीके से प्रवेश किया जाता है। अवैध खनन उत्पादों को ढ़ोने वाले ऐसे वाहनों द्वारा जी0एस0टी0 में पंजीकृत व्यापारियों के फर्जी बिलों का प्रयोग करते हुए जी0एस0टी0 की चोरी की जा रही है।

अत: निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक जोन में खनन उत्पाद की वस्तुओं में पंजीकृत व्यापारियों का विभागीय फिजिकल वेरिफिकेशन एप से सत्यापन कराना सुनिश्चित कराते हुए इन व्यापारियों द्वारा दाखिल किए जा रहे रिटर्न की नियमित मानीटरिंग कराई जाय। प्रवर्तन इकाइयों द्वारा विशेषकर सीमावर्ती जिलों में रोड चेकिंग के दौरान खनन उत्पाद का परिवहन करने वाले वाहनों की जांच के समय प्रस्तुत प्रपत्रों के संदिग्ध पाए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने के साथ-साथ सम्बन्धित खण्ड कार्यालय एवं खनन विभाग को भी सूचित किया जाय।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।